अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 26 /2012

अशोक यादव एवं अन्य –– अपीलार्थीगण

वनाम

त्रिफुल देवी एवं अन्य –– रेस्पाण्डेन्ट्स

–:आदेशः–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थीगण के द्वारा भुमि सुधार उप–समाहर्त्ता, निर्मली के आदेश दिनांकः 21.07.2011 ई० अंदर वाद संख्या–05/11–12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख पर संधारित उभय पक्षों के सभी कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में कथन करते हैं कि पूराना खेसरा 5320/5428 का कुल रकबा 2 बीघा 19 कट्ठा पर बैजनाथ यादव, मुसाफिर यादव एवं बहादुर यादव के स्वामित्व में था वो वर्ष 1986 में अंतिम रूप से हाल सर्वे खतियान प्रकाशित हुआ था वो शांतिपूर्ण दखलकार रहते हुए जमाबंदी संख्या 1015 कायम कराकर बिहार सिरिस्ता में रेन्ट वील का भुगतान करते चले आ रहे थे। उक्त तीनों रैयत आपस में भूमि का बँटवारा कर अपने–2 हिस्से की भूमि पर दखलकार हुए वो बैजनाथ यादव को एक पुत्र हरिबंश यादव था और हरिबंश यादव को एक पुत्र शंभू यादव था। शम्भू यादव, पिता–हरिबंश यादव खतियानी रैयत के वारिसान ने निबंधित केवाला दस्तावेज दिनांक 29.08.2009 ई0 को रकबा 19 कट्ठा वाजिब जरसम्मन लेकर अपीलार्थीगण को बिक्री कर दिये एवं दखल कब्जा दे दिये।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि खतियानी रैयत मुसाफीर यादव के पुत्र 11 कट्ठा भूमि निबंधित केवाला से अपीलार्थीगण को बिक्री कर दिये एवं दखल कब्जा दे दिये। इस प्रकार कुल कयित भूमि पर अपीलार्थीगण/ प्रतिवादीगण दखलकार चले आ रहे हैं। दखल कब्जा के आधार पर विधिवत विवादी जमीन का जमाबंदी 3818 Vender के नाम से चल रहे जमाबंदी नं0 1025 से खारीज होकर अपीलार्थीगण के नाम से कायम हुआ वो अपीलार्थीगण रेन्ट

वील वर्ष 2013–14 तक हासिल किये हुये है। दूसरे तरफ रेस्पोण्डेन्ट्स निबंधित केवाला दस्तावेज संख्या 1563 दिनांक 09.11.10 द्वारा शिव कुमार यादव से क्रय करने का दावा करते है परन्तु शिव कुमार यादव किसी खतियानी रैयत के उत्तराधिकारी नहीं है वो प्रश्नगत भूमि से उनका कोई संबंध नहीं है। रेस्पोण्डेन्ट प्रथम पक्ष का वाद यह है कि कथित शिव कुमार यादव को योगेन्द्र नारायण यादव पिता महाबीर यादव ग्राम– परसा एवं कपिलेश्वर यादव पिता रंजन यादव ग्राम पिगोरागढ़ थाना धोधरडीहा जिला– मधुबनी द्वारा " Am power of attorney " तामिल किया गया था । " Am power of attorney" तामिल कराने वाले उपरोक्त व्यक्तियों एवं " Am power of attorney" का प्रश्नगत भूमि से न तो कोई संबंध था और न ही कोई अधिकार था।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में कथन करते है कि मौजा– हरारी अन्तर्गत पूराना खाता संख्या 32, नया खाता संख्या 1021, पूराना खेसरा संख्या 5320, नया खेसरा संख्या 5428, 5063/10470, 5066, कुल रकबा 2 बीघा 17 कट्ठा 09 धुर जमीन हाल सर्वे खतियान में बैजनाथ यादव पिता बलदेव यादव एक हिस्सा, मोसाफिर यादव पिता राजधर यादव एक हिस्सा, बहादुर यादव पिता जगदेव यादव एक हिस्सा के नाम से दर्ज था । उपरोक्त हाल सर्वे खतियान के अनुसार प्रत्येक सह हिस्सेदार को पूराना खेसरा संख्या 5320 में से 19 कट्ठा 03 धूर प्राप्त हुआ। अपने पिता बैजनाथ यादव के मृत्यु के उपरांत हरिबंश यादव खेसरा संख्या 5320 का कुल रकबा 19 कट्ठा 3 धुर के दखलकार हुए एवं हक एवं दखल मुताबिक हरिबंश यादव द्वारा दिनांक 26.08.1971 को योगेन्द्र प्रसाद यादव, पिताः महाबीर यादव एवं कपिलेश्वर यादव, पिताः रंजन यादव के नामे पूराना खेसरा संख्या 5320 रकबा 19 कट्ठा 3 धुर भूमि हेतु निबंधित बिक्री दस्तावेज संख्या 473 तामिल किया गया। इस प्रकार हरिबंश यादव द्वारा अपने हिस्से की सारी जमीन बिक्री कर दिया गया एवं केता बाद खरीदगी के उपरोक्त भूमि पर दखलकार हुए।

रेस्पोण्डेन्ट के विज्ञ अधिवक्ता अपने बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते है कि योगेन्द्र प्रसाद यादव एवं कपिलेश्वर यादव ने दिनांक 31.08.94 को शिवकुमार यादव पिता सुगली यादव के नामे power of attorney तामिल किया एवं power of attorney के धारक शिवकुमार यादव ने दिनांक 09.11.2010 को रेस्पोण्डेन्ट/वादी न0 1 त्रिफुल देवी के नामे पूराना खाता संख्या 32, नया खाता संख्या 1021, पूराना खेसरा संख्या 5320, नया खेसरा संख्या 5428, 5063/10470, 5066 का कुल रकबा 19 कट्ठा 03 धुर (111 डी0) हेतु निबंधित बिक्री दस्तावेज तामिल किया। बाद खरीदगी के केता त्रिफुल देवी भूमि पर दखलकार हुयी एवं कपिलेश्वर यादव की मृत्यु उपरांत रेस्पोण्डेन्ट/वादी संख्या 1 त्रिफुल देवी ने कपिलेश्वर यादव की विधवा मसो0 निपुर देवी से भी कुल रकबा 11 कट्ठा 01 धुर 10 धुरकी भूमि क्रय कर लिया। मुसाफिर यादव अपने चार पुत्र विनोद यादव, लाल यादव, अग्निदेव यादव एवं युगत यादव को पीछे छोड मर गये। रेस्पोण्डेन्ट/वादी संख्या 1 द्वारा अग्नि यादव से 5 कट्ठा भूमि क्रय किया गया एवं 5 कट्ठा भूमि स्व0 युगत यादव की पत्नी मसो0 हरिहर देवी से क्रय किया गया। इस प्रकार त्रिफुल देवी कुल क्रय की गयी भूमि 1 बीघा 09 कट्ठा 03 धुर भूमि पर दखलकार हुयी। शम्भु यादव पिता हरिबंश यादव द्वारा दिनांक 29.08.2009 को अपीलार्थी/प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नामे पुराना खाता संख्या 5320 का रकबा 19 कट्ठा हेतु निबंधित बिक्री दस्तावेज तामिल किया गया जो कि गलत एवं अवैधानिक है। शम्भु यादव, पिता– हरिबंश यादव को उपरोक्त भूमि बिक्री करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उनके पिता द्वारा दिनांक 26.08.1971 को ही अपने हिस्से की कुल भूमि 19 कट्ठा 03 धुर निबंधित बिक्री दस्तावेज के माध्यम से योगेन्द्र यादव एवं कपिलेश्वर यादव को बिक्री कर दिया था तथा रेस्पोण्डेन्ट/वादी त्रिफुल देवी उक्त भूमि की पूर्ववर्ती खरीदार थी अतएवं उक्त भूमि पर उनका वास्तविक हक एवं दखल हुआ। लाल यादव पिता मुसाफिर यादव को पूराना खेसरा संख्या 5320 में 4 कट्ठा 15 धुर भूमि हिस्से में प्राप्त हुयी एवं उनके द्वारा अपीलार्थी/ प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नामे कुल रकबा 10 कट्ठा 10 धुर हेतु निबंधित बिक्री दस्तावेज तामिल किया गया जो उनको हिस्से में प्राप्त भूमि से ज्यादा है। इस प्रकार

उपरोक्त निबंधित दस्तावेज अवैधानिक हुआ। इसी प्रकार विनोद यादव पिता मुसाफिर यादव को पूराना खेसरा संख्या 5320 में 4 कट्ठा 15 धुर भूमि हिस्से मे प्राप्त हुआ लेकिन उनके द्वारा कुल रकवा 9 कट्ठा भूमि हेतु रेस्पोण्डेन्ट/प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नामे निबंधित बिक्री दस्तावेज तामिल किया जो उनको हिस्से में प्राप्त भूमि से ज्यादा है। अतएव बिक्री दस्तावेज गलत, अवैधानिक है एवं रद्द करने योग्य है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया, पाया कि निम्नन्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा